209

संख्याः– 1821 /III(2)/15–01(बजट)/2014

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 11 मार्च, 2015

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2014–15 में द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22 परियोजना संरचना/कन्सलटैन्सी मद में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0– 7895/63 बजट (परि0सं0/कन्सलटैन्सी)/2014–15 दिनांक 12 जनवरी, 2015 के संदर्भ में एवं शासनादेश सं0:– 2261/III(2)/14–01(बजट)/2014 दिनांक 07 अप्रैल, 2014 तथा अपर मुख्य सचिव, वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन पत्र सं0:–983/XXVII(1)/2014 दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के द्वितीय अनुपूरक में लोक निर्माण विभाग हेतु अनुदान सं0– 22 के आयोजनागत पक्ष में परियोजना संरचना/कन्सलटैन्सी मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष **₹ 3.00 करोड़ (₹ तीन करोड़ मात्र)** की धनराशि, निम्न शर्तो के अधीन, व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– उक्तानुसार अवमुक्त की जारी रही धनराशि के सापेक्ष सी0सी0एल आवंटन, खण्डवार स्वीकृत कार्यो की कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्य की प्रगति तथा कार्य की तात्कालिक आवश्यकता, के आधार पर की जायेगी तथा इसकी सूचना शासन को भी प्रेषित की जायेगी।

(ii)– उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण वितरण अधिकारी द्वारा बी0एम0–4 प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह के व्यय का विवरण अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–12 के प्रस्तर–101 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–113 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी (मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0) द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा। प्रशासनिक विभाग बजट मैनुअल के प्रस्तर–115 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

(iii)– आयोजनागत पक्ष की संलग्न योजनाओं की सी0सी0एल0 प्रत्येक त्रैमास में समय से निर्गत कर उसकी प्रति प्रत्येक त्रैमास में शासन को भी प्रेषित की जायेगी। विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक खण्ड से समय से योजनाओं का विवरण प्राप्त करके समय से उसकी साख सीमा निर्गत करायें ताकि स्वीकृत की जा रही धनराशि का समय से उपयोग हो सके और योजना का लाभ जनता को प्राप्त हो सके। इस सम्बन्ध में उत्तरदायी अधिकारी के द्वारा विलम्ब से विभागाध्यक्ष को योजनाओं का विवरण सूचित करने के कारण सी0सी0एल0 निर्गत करने में विलम्ब होता है तो उसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर ठोस कारण न होने पर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी और लगातार दो बार योजनाओं का विवरण समय से न भेजे जाने के कारण यदि पुनः सी0सी0एल0 निर्गत करने में विलम्ब होता है तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। मुख्य अभियन्ता का यह भी दायित्व होगा कि विभागीय योजनाओं की समय से समीक्षा कर समय से प्रतिशत के अनुसार सी0सी0एल0 निर्गत करेंगे।

(iv)– सर्वप्रथम उन निर्माणाधीन कार्यो का पूर्ण किया जाय, जिसमें 75 प्रतिशत का कार्य पूर्ण हो चुका है। तत्पश्चात् 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुके कार्यो का वरीयता दी जाये।

(v)– वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड V भाग–I के प्राविधानों के सभी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने के बाद ही आवश्यकता के अनुसार धनराशि आवश्यकता होने पर ही आहरित एवं वितरित की जायेगी।

(vi)– इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0:–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18–03–2014, पत्र सं0:– 622/XXVII(1)/2014 दिनांक 26 जून, 2014 एवं पत्र सं0:–983/XXVII(1)/2014 दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 में उल्लिखित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii)- उत्तराखण्ड में लागू समस्त वित्तीय नियमों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के अधीन ही समस्त प्रक्रियायें पूर्ण की जायेंगी तथा ऐसे कार्य जो मानक के अनुसार 18 माह में पूर्ण होने चाहिये, ऐसे प्रकरणों में अधिवृद्धि या शेड्यूल रेट्स की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।

(viii)- साख सीमा मानक के अनुसार प्रत्येक त्रैमास में निर्गत की जायेगी तथा यदि मानक से अधिक साख सीमा की आवश्यकता हो तो तत्काल शासन से इस सम्बन्ध में अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(ix) साख सीमा के आधार पर आवंटित धनराशि का एकमुश्त आवंटन आहरण वितरण अधिकारी/कार्य स्थल पर किया जाय एवं उसका पूर्ण विवरण बजट मैनुअल के प्रस्तर-10 में भरकर शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(x)- जिन प्रकरणों पर शासन से पूर्वानुमति की आवश्यकता हो उन पर यथाशीघ्र सुस्पष्ट विवरण एवं प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(xi)- इस सम्बन्ध में वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अक्षरतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों हेतु बजट आबंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी । वित्त अनुभाग-1 के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में शासन स्तर से साफ्टवेयर के माध्यम से उक्तानुसार आयोजनागत पक्ष के सुसंगत उप मानक मदों में ₹ **3.00 करोड़ (₹ तीन करोड़ मात्र)** का बजट आबंटन लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0 -22 संलग्न विवरणानुसार आपको आबंटित कोड सं0- 4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है। अतः तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(2)- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में लोक निर्माण विभाग हेतु अनुदान सं0-22 लेखाशीर्षक 3054 सड़क तथा सेतु-80 सामान्य-800 अन्य व्यय-03 निर्माण-04 परियोजना संरचना/परीक्षण/ गुणवत्ता/कन्सलटैन्सी आदि-16 व्यवसायिक सेवा के लिये भुगतान मद के नामे डाला जायेगा।

(3)- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या:-106/XXVII(2)/2014 दिनांकः 11 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या-/ 821 (1)/ III(2)/15-01(बजट)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3- एकीकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय (साईबर ट्रजरी), 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
5- निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ,उत्तराखण्ड देहरादून।

आज्ञा से,

(ललित मोहन आर्य)
संयुक्त सचिव।